


18.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी व प्रतिवादी वकील द्वारा वाद पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाही जा रही है वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को पूर्व पेशी दिनांक 30.01.2023 को तलबी जवाब अंतिम अवसर दिया गया था जो आज दिनांक तक अमन नही किया गया। उसी अनुसार वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
कुमानर

